

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
कार्यालय आदेश

सं०-प्र०/ऊर्जा-अ०स्था०-०७/२०२४- ५९ /पटना, दिनांक:- २५.०९.२०२४

श्री आलोक कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना का पैर जलने से कार्यालय आने में असमर्थता के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम २२७, २३० एवं २४८ के अंतर्गत दिनांक-२२.०९.२०२४ से दिनांक-३०.०९.२०२४ तक कुल ०९ (नौ) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त उपार्जित अवकाश उनके छुट्टी लेखा से विकलनीय होगा। उक्त छुट्टी उपभोगोपरांत श्री कुमार के खाते में कुल ४३ (तीतालीस) उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राज किशोर लाल),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०/ऊर्जा-अ०स्था०-०७/२०२४- /पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०/ऊर्जा-अ०स्था०-०७/२०२४- ५८९५ /पटना, दिनांक:- २५.०९.२०२४

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-१/प्रशाखा पदाधिकारी-५/लेखा शाखा/रोकड़ शाखा/श्री आलोक कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं आई०टी० प्रबंधक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


२५/०९/२४
सरकार के उप सचिव।